

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स० 3] नई दिल्ली, मंग. वार, जनवरी 4, 1977/पृष्ठ 14 1898

No. 3] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 1977/PAUSA 14, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

RESOLUTION

New Delhi, the 4th January 1977

SCHEME FOR WORKERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT IN COMMERCIAL AND SERVICE ORGANISATIONS HAVING LARGE SCALE PUBLIC DEALINGS

No. L-56025/4/75-Dk. I (B).—The scheme for Workers' Participations in Industry at Shop Floor and Plant Levels introduced by Government on the 30th October, 1975 vide Government of India's Resolution No. S-61011(4)/75-Dk.I(B) dated the 30th October, 1975, was made applicable only to manufacturing and mining units in the public, private and cooperative sectors, as well as those run departmentally, employing 500 or more workers. Now that the Scheme has been generally welcomed in the manufacturing and mining units during the last one year, Government have decided to extend the idea of workers' participation, for the present, to commercial and service organisations in the public sector*, which have

*For example, hospitals, posts and telegraphs offices, railway stations/booking offices, government provident fund/pension organisations, road transport corporations, state electricity boards, banks, insurance, institutions like food corporation of India, central warehousing, state warehousing corporations, public distribution system such as ration/fair price shops, super bazars, all financial institutions at the state level and the central level, educational institutions, research institutions, distribution, commercial and marketing organisations of oil companies, air and inland water transport, shipping lines, ports and docks, Handicrafts and Handloom Exports Corporation, State Trading Corporation, M.M.T.C., and commercial and training organisations of the Central and State Governments, municipal services, milk distribution services, irrigation systems, tourist organisations, public hotels and restaurants and establishments of public amusements, etc.

large scale public dealings, with a view to rendering better customer service. The basic objective of the Scheme would be to devise a system whereby mutual trust and confidence are created between the workers and the management which would help promote active involvement of the workers with the work process. It would also motivate the workers to put in their best efforts through greater job satisfaction so as to render better customer service. But the success of the Scheme would primarily depend upon the extent of realisation on the part of the management that the workers can also contribute significantly for effecting improvements in the work process and also on the initiative and interest that may be taken by it in encouraging workers' participation. For this purpose, the following Scheme has been drawn up—

Introduction

1. To begin with, the Scheme will have to be flexible so as to allow variations to suit local conditions and hence it will be implemented through executive action. Various forms of workers' participation are already in vogue in some of the commercial and service organisations in the public sector. Government are, therefore, of the view that the matter should be left to the initiative of the managements to evolve a suitable pattern of participation depending upon the nature of each unit. Care will, however, have to be taken to ensure that the councils envisaged under the Scheme do not acquire the role of bargaining committees.

Coverage

2. The Scheme will be applied to the lowest operating unit of a commercial/service organisation in the public sector, which is equivalent to a shop in a manufacturing unit; and employs at least 100 persons, but an organisation/service desiring to apply it to units with lesser employment shall be free to do so.

3. The Scheme will provide for unit councils at the unit levels and joint councils at the divisional/regional/zonal levels, or in particular branches, as may be considered necessary. An apex body for the entire organisation/service need not be formed at this stage, but the desirability of setting up such a forum may be considered after experience is gained in the working of the Unit/Joint Councils.

Unit Councils

4. The main features of the Scheme of Workers' Participation through unit level councils may be as follows:

- (i) A unit level council consisting of the workers and management of the organisation/service may be formed generally in each unit, employing 100 or more persons, to discuss day-to-day problems and find solutions, but, wherever necessary, a composite council may be formed to serve more than one unit or a council may be formed departmentwise to suit the particular needs of an organisation/service.
- (ii) Every unit council shall consist of an equal number of representatives of the management and workers. The actual number of members should be determined by the management in consultation with the recognised union, registered unions or the workers in the manner best suited to the local conditions obtaining in unit or an organisation, but their total number may not exceed 12. It would be necessary to nominate suitable and experienced workers from various departments irrespective of their cadre, affiliation or status, and not trade union functionaries who may not be actually working in the unit.
- (iii) The management's representatives should be nominated by the management and should consist of persons from the unit concerned.
- (iv) The management shall decide in consultation with the recognised union or the registered unions or the workers, as the case may be, in the manner best suited to local conditions, the number of unit councils and the departments to be attached to each council of the organisation/service.
- (v) All decisions of a unit council shall be on the basis of consensus and not by a process of voting, provided that either party may refer the unsettled matters to the joint council for consideration.
- (vi) Every decision of a Unit Council shall be implemented by the parties concerned within a month unless otherwise stated in the decision itself.

- (vii) The management shall make suitable arrangements for the recording and maintenance of minutes of the meetings and designate one of its representatives as Secretary for this purpose who shall also report the action taken on the decisions at subsequent meetings of the council.
- (viii) Such decisions of a Unit Council which have a bearing on another unit or the organisation/service as a whole shall be referred to the Joint Council for consideration and decision.
- (ix) A Unit Council once formed shall function for a period of two years. Any member nominated or elected to the Council in the mid-term to fill a casual vacancy shall continue to be a member of the Council for the unexpired portion of the term of the Council.
- (x) The Council shall meet as frequently as is necessary but at least once in a month.
- (xi) The Chairman of the Council shall be a nominee of the management; the worker-members of the Council shall elect a Vice-Chairman from amongst themselves.

Functions of the Unit Councils

5 The main functions of the unit level councils may be,—

- (i) to create conditions for achieving optimum efficiency, better customer service in areas where there is direct and immediate contact between the workers at the operational level and the consumer, higher productivity and output including elimination of wastage and idle time and optimum utilisation of manpower by joint involvement in improving the work-system;
- (ii) to identify areas of chronically bad, inadequate or improper service and to take necessary corrective steps to eliminate the contributing factors with a view to evolving improved methods of operation,
- (iii) to study absenteeism and recommend steps to reduce it;
- (iv) to maintain discipline in the unit;
- (v) to eliminate pilferage and all forms of corruption and to institute a system of rewards for this purpose.
- (vi) to suggest improvements in physical conditions of working such as lighting, ventilation, dust, noise, cleanliness, internal lay-out of counters, setting up of kiosks and customer service points, etc.;
- (vii) to ensure proper flow of adequate two-way communication between the management and the workers, particularly matters relating to the service to be rendered, fixation of targets of output and progress in achieving these targets,
- (viii) to recommend and improve safety, health and welfare measures for efficient running of the unit,
- (ix) to discuss any other matters which may have a bearing on the improvement of performance of the unit for ensuring better customer service.

Joint Councils

6 At every divisional/regional/zonal level or, as may be considered necessary, in a particular branch of an organisation/service employing 100 or more persons, there shall be a Joint Council. The main features of the Joint Council shall be as follows,—

- (i) Each organisation/service shall decide the number of Councils to be set up for different types of services rendered by it in consultation with the recognised union, registered unions, or the workers, as the case may be, in the manner best suited to the local conditions.
- (ii) Only such persons who are actually engaged in the organisation/service shall be members of the Joint Council. Each organisation/service may decide the number of members in the manner suggested in item (i) but the membership should not be unwieldy.
- (iii) The tenure of the Council shall be two years; if, however, a member is nominated in the mid-term of the Council to fill a casual vacancy the member nominated shall continue in office for the remaining period of the term of the Council.

- (iv) The chief executive of the organisation|service or of its divisional|regional/zonal/branch, as the case may be, shall be the Chairman of the Joint Council; there shall be a Vice-Chairman who will be nominated by worker-members of the Council.
- (v) The Joint Council shall appoint one of the members of the Council as its Secretary who will prepare agenda, record minutes of the meetings and report implementation of decisions at every meeting. The management shall provide necessary facilities within the premises of the organisation|service for the efficient discharge of the functions by the Secretary.
- (vi) The Joint Council shall meet, whenever considered necessary, but at least once a quarter. Every meeting should review the action taken on the decisions of earlier meetings for effective follow-up action.
- (vii) Every decision of the Joint Council shall be on the basis of consensus and not by a process of voting; it shall be binding on the management and workmen and shall be implemented within one month unless otherwise stated in the decision.

Functions of the Joint Council

7 The following shall be the functions of a Joint Council:—

- (i) settlement of matters which remain unresolved by the unit level councils and arranging joint meetings of two or more unit level councils for resolving inter-council problems;
- (ii) review of the working of the unit level councils for improvement in the customer service and evolving methods for the best way of handling of goods traffic, accounts, etc.;
- (iii) unit level matters which have a bearing on other branches or on the enterprise as a whole;
- (iv) development of skills of workmen and adequate facilities for training;
- (v) improvement in the general conditions of work;
- (vi) preparation of schedule of working hours and holidays;
- (vii) proper recognition and appreciation of useful suggestions received from the workers through a system of rewards;
- (viii) discussion of any matters having a bearing on the improvement of performance of the organisation|service for ensuring better customer service.

Composition

8. Keeping in view the fact of diversity of situations prevailing in the different units of commercial and service organisations, no uniform pattern is being laid down for the constitution of unit level councils and joint councils, particularly relating to the representation of workers. The managements should, in consultation with the recognised unions or registered unions or workers, as the case may be, evolve the most suitable pattern of representation so as to ensure that the representation of the workers results in effective, meaningful and broad-based participation of workers in the organisation|service.

Communication

9. For any scheme of workers' participation to succeed there must be an effective two-way communication and exchange of information between the management and the workmen. It is only then that the workers would have a better appreciation of the problems and difficulties of the organisation|service and of its overall functioning. With this end in view, each organisation|service should devise an effective system of communication.

Works Committee

10 The Works Committee as prescribed under the Industrial Disputes Act, 1947, wherever applicable, shall continue to function, as at present.

Appropriate Government

11. The Scheme not being statutory, the concept of "appropriate government", as provided in the Industrial Disputes Act, 1947, is not relevant. However, the Central and State Governments have an important role in promoting the healthy

and speedy implementation of the Scheme in as large a number of organisations|services as possible. While the initiative for the introduction of the Scheme will mainly be with the organisations|services concerned, all matters relating to the operation of the Scheme will be dealt with by the Central Government in the case of the public sector organisations|services of the Central Government.

Conclusion

12 Government are aware that it is only by providing for arrangements for workers' participation, particularly at the unit level, that the involvement of workers in the effective functioning of the unit and in improving customer services can be ensured. Government would, therefore, appeal to all the managements and workmen and trade unions concerned to take speedy and effective measures for the early adoption of the Scheme in their units and for its continued effective functioning.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, all the Ministries/Departments of the Government of India, the Planning Commission, the State Governments and the Governments/Administrations of Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary for general information.

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

अम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1977

बड़े पैमाने पर लोक कार्य करने वाले वाणिज्यिक और सेवा संगठनों के प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी योजना।

सं० एन-56025/4/75-डी० के० I (बी) —भारत सरकार के संकल्प संख्या एस-6 10 11(4)/75-डी० के० I (बी), तारीख 30 अक्टूबर, 1975 द्वारा 30 अक्टूबर, 1975 से शुरू की गई उद्योग में शाप-फ्लोर और प्लाट स्तर पर श्रमिकों की सहभागिता सबंधी योजना केवल सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्रों के विनिर्माण और खनन एककों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे ऐसी यंत्रों पर ही लागू की गई थी जिनमें 500 या उससे अधिक श्रमिक नियोजित हो। अब जब कि पिछले एक वर्ष के दौरान विनिर्माण और खनन यंत्रों में इस योजना का सामान्यतः स्वागत हुआ है, सरकार ने यह निर्णय किया है कि फिन्हाल श्रमिकों की सहभागिता सबंधी योजना को सरकारी क्षेत्र* के ऐसे वाणिज्यिक और सेवा संगठनों पर भी लागू किया जाए,

* उदाहरणार्थ, अस्पताल, डाक और तार कार्यालय, रेलवे स्टेशन/बुकिंग कार्यालय, सरकारी भविष्य निधि/पेंशन संगठन, मछक परिवहन निगम, राज्य विद्युत बोर्ड, बैंक, बोमा, भारतीय खाद्य निगम जैसी संस्थाएं, केन्द्रीय माल गोदाम, राज्य माल गोदाम निगम, राशन/उचित दर दुकानों जैसी सरकारी वितरण प्रणाली, सुपर बाजार राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर की सभी वित्तिय संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं, अनुसंधान संस्थाएं, तेल कंपनियों के वितरण, वाणिज्यिक और विपणन संगठन, हवाई तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन, शिपिंग लाइन्स, पत्तन और गोदार्थों, शिल्प उद्योग और हेड लूम नियात निगम, राज्य व्यापार निगम, एम० एम० 1० सो०, और केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वाणिज्यिक और प्रशिक्षण संगठन नगरपालिका सेवाएं, दुग्ध वितरण सेवाएं, सिचाई मिस्टम, टुरिस्ट संगठन, सार्वजनिक होटल और रेस्तरा और सार्वजनिक मनोरंजन के प्रतिष्ठान, आदि।

जो बड़े पैमाने पर लोक कार्य करते हों, ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना का मूल उद्देश्य एक से ऐसे प्रणाली का निर्माण करना होगा जो श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच पारस्परिक भरोसा और विश्वास पैदा करे जिससे कार्य प्रक्रिया में श्रमिकों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेने में सहायता मिलेगी। इससे श्रमिकों को अपने काम में सतुष्टी प्राप्त हो तथा ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु उन्हें अधिकतम प्रयास करने की प्रेरणा भी मिलेगी। परन्तु इस योजना को सफलता मुह्यतः इस बात पर निर्भर करेगी प्रबन्धक किस सोमा तक यह अनुभव करते हैं कि कार्य-प्रक्रिया में सुधार लाने में श्रमिक भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं तथा यह सफलता श्रमिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रबन्धकों की पहल शक्ति तथा रुचि पर भी निर्भर करेगी। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित योजना तैयार की गई है:—

प्रस्तावना

शुरू शुरू में इस योजना को लक्ष्य होना होगा ताकि उसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बैठने के लिए कोर-बदल की गुंजाइश हो और इस कारण इसे अधिकांश कार्यवाही के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा; सरकारी क्षेत्र के कतिपय वाणिज्यिक और सेवा संगठनों में श्रमिकों की सहभागिता के विभिन्न रूप पहले से ही प्रचलित हैं। इसलिए, सरकार का यह मत है कि यह बात प्रबन्धकों के स्वतः प्रेरण पर छोड़ दी जानी चाहिए कि वे प्रत्येक यूनिट के स्वरूप पर निर्भर करते हुए श्रमिकों की सहभागिता का कोई उपयुक्त पैटर्न तैयार करें। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना होगा कि इस योजना के अन्तर्गत परिकल्पित परिषद् सोवाकारी समितियों की भूमिका निम्नाने नहीं लग जाती।

सीमाक्षेत्र

2. यह योजना सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक/सेवा संगठन के छोटे से छोटे यूनिट पर भी लागू की जाएगी जो किसी विनिर्माण के शाप के बराबर हो तथा जिसमें कम से कम 100 व्यक्ति नियोजित हों परन्तु यदि कोई संगठन/सेवा इस कम नियोजन वाले यूनिटों में लागू करना चाहे तो वह ऐसा करने को स्वतंत्र होगा/होगी।

3. इस योजना में आवश्यकतानुसार यूनिट स्तरों पर यूनिट परिषदों और विभागीय/क्षेत्रीय/जोनल स्तरों पर या विशेष शाखाओं में संयुक्त परिषदों की व्यवस्था होगी। इस अवस्था पर समस्त संगठन/सेवा के लिए कोई शोष निकाय बनाने की जरूरत नहीं है, परन्तु यूनिट/संयुक्त परिषदों के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त करने के बाद इस प्रकार के किसी निकाय का स्थापित करने को वांछनीयता पर विचार किया जा सकता है।

यूनिट परिषदों

4. यूनिट स्तरीय परिषदों के माध्यम में श्रमिकों की सहभागिता संबंधी योजना की मुख्य बातें ये हो सकती हैं:—

- (i) रोजमर्रा की समस्याओं पर विचार विमर्श करने तथा उनका हल निकालने के लिए संगठन/सेवा के श्रमिकों और प्रबन्धकों को शामिल करके प्रायः ऐसे प्रत्येक यूनिट में जिसमें 100 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, एक यूनिट स्तरीय परिषद् बनाई जाए, परन्तु एक से अधिक यूनिटों का काम करने के लिए संयुक्त परिषद् बनाई जा सकती है या संगठन/सेवा की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप विभागवार परिषद् बनाई जा सकती है।

- (ii) प्रत्येक यूनिट परिषद् में प्रबन्धकों और श्रमिकों के बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे। प्रबन्धकों को सदस्यों की वास्तविक संख्या का निष्पक्षानुपात प्राप्त यूनियन, पंजीकृत यूनियनों या श्रमिकों के साथ सलाह करके यूनिट या संगठन में विद्यमान स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बेहतरीन तरीके से किया जाना चाहिए परन्तु उनकी कुल संख्या 12 से अधिक न हो। यह आवश्यक होगा कि विभिन्न विभागों से उपयुक्त तथा अनुभवश्रमिकों को नामजद किया जाए चाहे उनका सघर्ष, सम्बन्धन या पद कुछ भी क्यों न हो परन्तु वे ऐसे ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता नहीं होने चाहिए जो यूनिट में वस्तुतः कार्य न कर रहे हों।
- (iii) प्रबन्धकों के प्रतिनिधि, प्रबन्धकों द्वारा नामित किए जाने चाहिए और संबंधित यूनिट के व्यक्ति होने चाहिए।
- (iv) प्रबन्धक स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त यूनियन या पंजीकृत यूनियनों या श्रमिकों के साथ सलाह करके स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल सर्वोत्तम तरीके से संगठन/सेवा की प्रत्येक परिषद् के साथ सलग्न किए जाने वाले विभागों तथा यूनिट परिषदों की संख्या का निर्णय करेंगे।
- (v) यूनिट परिषद् के सभी निर्णय मतैक्य के आधार पर होने चाहिए न कि मतदान की प्रक्रिया द्वारा, परन्तु प्रत्येक पक्ष अनिर्णीत मामलों को संयुक्त परिषद् के पास विचारार्थ भेज सकता है।
- (vi) जब तक स्वयं निर्णय में ही अन्य प्रकार से वर्णित न कर रखा हो, पक्ष यूनिट परिषद् के प्रत्येक निर्णय को एक महीने के अन्दर अन्दर कार्यनिष्ठ करेंगे।
- (vii) प्रबन्धक बैठकों के कार्यवृत्त लिखने तथा उनका अभिलेख रखने के लिए समुचित व्यवस्था करेंगे और इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधियों में से एक को सचिव के रूप में नामोदित करेंगे जो निर्णयों पर की गई कार्यवाही के बारे में परिषद् की बाद की बैठकों को रिपोर्ट भी देगा।
- (viii) यूनिट परिषद् को ऐसे निर्णयों को जिसका प्रभाव किसी अन्य यूनिट या सम्पूर्ण संगठन सेवा पर पड़ता हो, विचार तथा निर्णय हेतु संयुक्त परिषद् के पास भेजा जाएगा।
- (ix) एक बार स्थापित होने के बाद यूनिट परिषद् दो वर्ष की अवधि के लिए काम करेगी। मध्यावधि में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए परिषद् के लिए नामजद या नियुक्त किया गया कोई सदस्य परिषद् की कार्यवाही समाप्त न हुए भाग के लिए परिषद् का सदस्य बना रहेगा।
- (x) परिषद् आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें अक्सर बुलाएगी परन्तु महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य ही बुलाएगी।
- (xi) परिषद् का अध्यक्ष प्रबन्धकों द्वारा नामजद किया गया व्यक्ति होगा; परिषद् के क्षमिक सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं अपने में से करेंगे।

यूनिट परिवर्धों के कार्य

5 यूनिट स्तरीय परिवर्धों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं :—

- (i) अनुकूलतम दक्षता प्राप्त करने, जिन क्षेत्रों में परिचालन स्तर पर श्रमिकों और उपभोक्ता के बीच कोई सीधा तथा निवृत्ततम सम्पर्क है, वहाँ ग्राहकों की बेहतर सेवा करने, उच्चतर उत्पादिता और उत्पादन तथा छीजन एवं समय की बरबादी को समाप्त करने और कार्य-प्रणाली को सुधारने के काम में संयुक्त रूप से हिस्सा लेकर जन-शक्ति के अनुकूलतम उपयोग के लिए हालात पैदा करना ।
- (ii) ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें चिरकाल से सेवा खराब, अपर्याप्त या अनुपयुक्त है और उसके कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करना ताकि परिचालन के सुधरे हुए तरीके विकसित किए जा सकें ।
- (iii) अनुपस्थिति का अध्ययन करना तथा उसे कम करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।
- (iv) यूनिट में अनुशासन बनाए रखना ।
- (v) चोरी और सब प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करना और इस प्रयोजन के लिए इनाम देने की प्रणाली आरम्भ करना ।
- (vi) रोशनी, संवातन, घुल, शोर, सफाई काउंटरोल की आंतरिक योजना मंचों और ग्राहक सेवा काउंटरोल की स्थापना, आदि जैसी काम की भौतिक दशाओं में सुधार करने सबंधी सुझाव देना ।
- (vii) प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच के तीन पर्याप्त दो-तरफा पत्र-व्यवहार का विशेषकर दी जाने वाली सेवा, उत्पादन के लक्ष्यों का निर्धारण और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति संबंधी मामलों के बारे में उचित प्रवाह सुनिश्चित करना ।
- (viii) यूनिट को सुचारु ढंग से चलाने के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यों की सिफारिश करना तथा उनमें सुधार करना ।
- (ix) ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित कराने के लिए ऐसे किन्हीं भी अन्य मामलों के बारे में विचार विमर्श करना जिनका संबंध यूनिट के कार्य में सुधार से हों ;

संयुक्त परिवर्ध

6. प्रत्येक प्रभागीय/क्षेत्रीय/जोनल स्तर पर या आवश्यकतानुसार 100 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाला संगठन/सेवा को किसी शाखा विभाग में संयुक्त परिषद होनी चाहिए । संयुक्त परिषद की मुख्य-मुख्य बातें ये होंगी :—

- (i) प्रत्येक संगठन/सेवा विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए स्थापित की जाने वाली परिषदों की संख्या, मान्यता प्राप्त यूनियन, पंजीकृत यूनियनों या श्रमिकों से सलाह करके इस तरीके से तय करेगी जो स्थानीय परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल होगा ।

- (ii) केवल ऐसे व्यक्ति ही संयुक्त, परिषद के सदस्य होंगे जो संगठन/सेवा में वस्तुतः नियुक्त हों। प्रत्येक संगठन/सेवा मद् (i) में सुझाए गए तीनों के अनुसार सदस्यों की संख्या तय करेगा परन्तु यह सदस्य संख्या अत्याधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iii) परिषद का कार्यकाल दो वर्षों होगा, परन्तु यदि किसी सदस्य को परिषद की मध्यावधि में किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामजद किया जाता है तो नामजद किया गया व्यक्ति परिषद की कालावधि के समाप्त न हुए भाग के लिए परिषद का सदस्य बना रहेगा।
- (iv) स्थिति के अनुसार संगठन/सेवा का या उसकी विभागीय/क्षेत्रीय/जोनल शाखा का मुख्य कार्यवाहक संयुक्त परिषद का अध्यक्ष होगा; एक उपाध्यक्ष होगा जिसे परिषद के श्रमिक सदस्य नामजद करेंगे।
- (v) संयुक्त परिषद, परिषद के सदस्यों में से एक की सचिव के रूप में नियुक्त करेगी जो बैंकों का कार्यसूची और उनके कार्यवृत्त का अभिलेख तैयार करेगा और प्रत्येक बैठक में निर्णयों की कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा प्रबंधक संगठन/सेवा के परिसर में ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि सचिव अपने कार्यों को निपुणता से निभा सके।
- (vi) संयुक्त परिषद अपनी बैंक के आध्यक्षता के अनुसार बुलाएगी परन्तु तिमाही में कम से कम एक बैठक जरूर बुलाएगी। हर बैंक में पहली की बैठकों के निर्णयों पर की गई कार्यवाही का पुनरीक्षा की जारी चाहिए ताकि प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके।
- (vii) संयुक्त परिषद का प्रत्येक निर्णय मतभेद के आधार पर होगा न कि मतदान की प्रक्रिया द्वारा वह प्रबंधकों और वरमंकारों पर आबद्ध करेगा और जब तक कि स्वयं निर्णय में ही अन्यथा उल्लिखित न हो, उसे एक महिने के अंदर अंदर कार्यान्वित किया जाएगा।

संयुक्त परिषद के कार्य

7. संयुक्त परिषद के नियम निम्नलिखित कार्य होंगे:—

- (i) ऐसे मामलों को निपटाना जिन्हें यूनिट स्तरीय परिषदों, निपटान पाई हो और अंतर परिषद समस्याओं को सुलझाने के लिए दो या दो से अधिक यूनिट स्तरीय परिषदों की संयुक्त बैठकों की व्यवस्था करना;
- (ii) ग्राहक सेवा में सुधार के लिए यूनिट स्तरीय परिषदों के कार्यकरण की पुनरीक्षा करना तथा माल, यातायात, लेखों, आदि की सर्वोत्तम ढंग से व्यवस्था करने के तरीके तैयार करना;
- (iii) यूनिट स्तरीय मामले जिनका प्रभाव अन्य शाखाओं या सम्पूर्ण उद्यम पर पड़ता हो;

- (iv) कनकारों को कार्य-कुशलता का विकास और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं ।
- (v) काम की समान्य दशाओं में सुधार ।
- (vi) कार्य बर्तों और छुट्टियों को अनुचितों तैयार करना ;
- (vii) पुरस्कार प्रणाली द्वारा श्रमिकों से प्राप्त हुए लाभप्रद सुझावों को उचित मान्यता देना तथा उनके सराहना करना ;
- (viii) बेहतर ग्राहक सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए संगठन/सेवा के काम में सुधार से संबंधित किन्हीं भी मामलों पर विचार विमर्श करना ।

पठन

8. वाणिज्यिक और सेवा संगठनों के विभिन्न एकाइयों में विद्यमान स्थितियों की विविधताओं संबंधी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यूनिट स्तरीय परिषदों और संयुक्त परिषदों के गठन हेतु, विशेष कर जहाँ तक श्रमिकों के प्रतिनिधित्व का संबंध है कोई समरूप पैटर्न निर्धारित नहीं किया जा रहा है । प्रबन्धकों को चाहिए कि ये स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त यूनियनों या पंजीकृत यूनियनों या श्रमिकों से सलाह करके प्रतिनिधित्व का उपयुक्ततम पैटर्न तैयार करें ताकि श्रमिकों के प्रतिनिधित्व से संगठन/सेवा में श्रमिकों को प्रभावी सार्थक और व्यापक सहभागिता प्राप्त हो सके ।

संचार

9. श्रमिकों की सहभागिता संबंधी किसी भी योजना की सफलता के लिए प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच की तरफ संचार तथा सूचना के आदान-दान की अवश्य ही प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए । केवल तब ही श्रमिकों को संगठन/सेवा समस्याओं तथा कठिनाइयों का और उसके समस्त कार्य का बेहतर अनुमान हो पाएगा इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संगठन/सेवा को संचार की कोई प्रभावी प्रणाली बनानी चाहिए ।

कार्य समिति

10. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—जहाँ कहीं वह लागू होता है—के अधीन निर्धारित कार्यसमितियाँ यथावत् कार्य करती रहेंगी ।

सम्बन्धित सरकार

11. चूंकि यह योजना सावित्रित नहीं है, इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में की गई “समन्वित सरकार” संज्ञा को रद्द करना बात नहीं है । तथापि यथा सम्भव अधिक संगठनों/सेवाओं में इस योजना के स्वस्थ एवं स्वतंत्रतापूर्ण कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के काम में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका है । यद्यपि इस योजना को आरम्भ करने का प्रयास पहले संबंधित संगठनों/सेवाओं को करना होगा, तथापि केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के संगठनों/सेवाओं के मामले में योजना को लागू करने संबंधी सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करेगी ।

निष्कर्ष

12. सरकार यह जानती है कि केवल श्रमिकों को विशेषकर एकक स्तरपर, सहभागिता संबंधी व्यवस्थाएं करके ही यूनिट को प्रभावी ढंग से चलाने तथा ग्राहक सेवाओं में सुधार लाने के लिए श्रमिकों का भाग लेना सुनिश्चित कराया जा सकता है । इसलिए सरकार सभी संबंधित प्रबन्धकों

और कर्मचारों और ट्रेड यूनियनों से असौल करनी है कि वे अपने यूनियनों में इस योजना के शीघ्र अपनाये जाने और उसके लगानार प्रभावी रूप में कार्य करने के लिए त्वरित तथा असरदार कार्यवाही करें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र [(असाधारण) में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

डॉ० बन्धूपोषाध्याय, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निर्यंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

